



2026:AHC:173514

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8472 सन् 2026

अनीशा एवं एक अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदकगण के अधिवक्ता

: संजीव कुमार गुप्ता

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 272 सन् 2023, थाना उसैत, जनपद बदायूँ में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण पूर्णतः निर्दोष हैं तथा उन्हें वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। अभिकथित अपराध से उनका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदकगण की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक संख्या 1 मृतका की विवाहित ननद है तथा आवेदक संख्या 2 मृतका का विवाहित देवर/जेठ है। वे मृतका तथा उसके पति से अलग रह रहे थे। मृतका के पति को प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नहीं बनाया गया था। मृत्यु का कारण फांसी लगाने से उत्पन्न श्वासावरोध (एस्फिक्सिया) था। मृतका के शरीर पर गर्दन के चारों ओर रस्सी के निशान के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतिरिक्त कोई अन्य क्षति नहीं पाई गई। आवेदकगण को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ दिनांक 1.8.2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अभिकथन किया गया है कि आवेदकगण तथा अन्य सह-अभियुक्तों ने अभिकथित अपराध में भाग लिया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना प्रारंभ की और उसे दिनांक 7.9.2023 को पूर्ण किया। विवेचना अधिकारी द्वारा आवेदकगण को दोषमुक्त किया गया तथा अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया तथा तत्पश्चात मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जहाँ सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। उन्होंने स्वयं को दोषी नहीं माना तथा विचारण की माँग की। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आरोप विरचित होने के पश्चात, अभियोजन ने साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी-1-कृष्ण पाल (मृतका के पिता-सूचनाकर्ता), अभियोजन साक्षी-2-सुखदेवी (मृतका की माता) के कथन अभिलिखित किए गए तथा तत्पश्चात अभियोजन द्वारा आवेदकगण को आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु समनित किए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 5.7.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 5.7.2025 का समनादेश अंतिम हो चुका है।

4. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदकगण को विवेचना अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किया गया था तथा प्रथम दृष्टया, सम्यक विवेचना के पश्चात अभिकथित अपराध में उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई। आवेदकगण को वर्तमान मामले में अभियोजन की सनक पर समनित किया गया है। आवेदकगण आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु तत्पर हैं। इस मामले में विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है तथा अभिकथित अपराध में आवेदकगण की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। आवेदकगण की अभिरक्षागत पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदकगण का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया है कि आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं तथा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक हो, उपस्थित होंगे। यह भी कथन किया गया है कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विचारण न्यायालय के साथ सहयोग करेंगे तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, तथापि वे तथ्यात्मक पहलू का खंडन नहीं करते। विवेचना अधिकारी को आवेदकगण द्वारा धोखा दिया गया, इसलिए, यद्यपि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित थे, उनके विरुद्ध कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिस्पर्धी प्रस्तुतियों को सुना है एवं अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. आवेदकगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था किंतु उनके विरुद्ध कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा अभिकथित अपराध में आवेदकगण की संलिप्तता नहीं पाई गई। उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु समनित किया गया है तथा आवेदकगण की अभिरक्षागत पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदकगण ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण बनाया है।

8. अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई., (2022) 13 एस.सी.सी. 764 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

“11. उपर्युक्त के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट के लिए निर्धारित किया गया है। संज्ञान लेने अथवा अभियुक्त का विचारण करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को आरोप पत्र अविलंब स्वीकार करना होता है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होती है। यह सम्यक रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अनिवार्यतः समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है, न कि गिरफ्तारी वारंट की। यदि वह गिरफ्तारी वारंट जारी करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के अंतर्गत परिकल्पित कारणों को अभिलिखित करना होगा कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है अथवा समन की अवहेलना करेगा अथवा उसने समन की सम्यक तामील के प्रमाण के बावजूद उपस्थित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होने से इनकार किया है। वस्तुतः उच्च न्यायालय द्वारा उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी की प्रकृति की हैं।

12. जहाँ तक वर्तमान मामले तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों का संबंध है, सर्वाधिक समुचित टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में हैं, उस अभियुक्त के संदर्भ में जो एक अजमानतीय अपराध में है तथा जिसकी अभिरक्षा विवेचना की अवधि के दौरान अपेक्षित नहीं थी। ऐसी स्थिति में, यह समुचित है कि अभियुक्त को जमानत पर मुक्त कर दिया जाए क्योंकि विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार न किए जाने अथवा अभिरक्षा में प्रस्तुत न किए जाने की परिस्थितियाँ स्वयं में उसे जमानत पर मुक्त किए जाने का हकदार बनाने हेतु पर्याप्त हैं। यह तर्क संक्षेप में यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अनेक वर्षों से मुक्त तथा स्वतंत्र रखा गया है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो मात्र इसलिए कि आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना तथा उसे कारावास में डालना, जमानत प्रदान किए जाने के शासी सिद्धांतों के विपरीत होगा। हम इससे पूर्णतः सहमत हैं।”

9. अग्रिम जमानत संबंधी विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों, अभियोग की प्रकृति, आवेदकगण की भूमिका तथा मामले की समस्त संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तथा यह पाते हुए कि आवेदकगण का मामला उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित है, अग्रिम जमानत हेतु प्रकरण बनता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमत किया जाता है:-

(i). उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदकगण-अनीशा तथा अनेकपाल की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो-दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर, विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाएगा;

(ii). आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे तथा निष्पक्ष विचारण के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii). आवेदकगण मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देंगे; तथा

(iv). आवेदकगण न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11. शर्तों में से किसी के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, आवेदकगण को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

18 अगस्त, 2026

ललित शुक्ल